1.1 सिक्किम विश्वविद्यालय की प्रथम वित्त समिति की पांचवी बैठक् दिनांक 25.11.2010 को 15.30 बजे मरीना होटल, बागडोगरा (सिलीगुड़ी) में आयोजित की गई ।

1.2. निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे

नाम एवं पदनाम		
1.	प्रो. महेन्द्र पी.लामा, उप कुलपति, सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक	अध्यक्ष
2.	श्री ए.पी थामस, सहायक निदेशक भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग (श्री नवीन सोई निदेशक, वित्त, मानव संसाधन विकास मंत्रालय , उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हुए)	सदस्य
3.	श्री एम.पी. बेजबरूआ, अवैतनिक निदेशक, भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय, नई दिल्ली - 110016	
4.	श्री अर्जुन स्यांग्देन पूर्व प्रधान मुख्य वन्य संरक्षक,	सदस्य
5.	श्री टी पी कोइराला, वित्त सचिव (स्थानापन्न) सिक्किम सरकार, गंगटोक	सदस्य
6.	श्री पी वी रवि, वित्त अधिकारी सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक	सचिव

1.3 निम्नलिखित सदस्य कार्यालयी अनिवार्यता के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके:

1.	डा0 (श्रीमति) रेणु बत्रा, संयुक्त सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली	सदस्य
2.	श्री अमित खरे संयुक्त सचिव (आई सी सी) उच्चतर शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली ; 110001	सदस्य

समूह I – स्वीकार्यता अपेक्षित मदें

एफ सी: 05:01	अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में शांति व्यवस्था का आह्वान

कार्यवृत्त

5.01.1 अध्यक्ष महोदय ने सदन में शांति बनाए रखने का आह्वान किया ।

एफ सी: 05:02	निधन सूचना संदर्भ

कार्यसूची टिप्पणी:

5.02.1 सदन के समक्ष निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यक्तियों की निधन सूचना गहरे शोक से दी गई :

1. श्री स्टेफन नाम्चु, सिक्किम के प्रमुख संगीतकार, जिन्होंने परिक्रमा सदृश राष्ट्रीय म्यूजिकल बैंड के साथ निष्पादन किया ।
2. श्री पी जी तेन्जिंग, पूर्व आई ए एस एवं प्रख्यात लेखक।
3. प्रो0 अर्जुन सेनगुप्ता, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं राज्य सभा सदस्य
4. श्री संतोष गुरूंग, प्रसिद्ध राजनैतिक नेता, दार्जीलिंग
5. सुश्री रोजाबेल नाम्चु, पूर्व निदेशक, सिक्किम सरकार

कार्यवृत्त

5.02.1 सदन ने गहरे शोक के साथ रिपोर्ट किए गए प्रितष्ठित व्यक्तियों के निधन सूचना को नोट किया। मृतात्माओं के प्रति सम्मान के रूप में सदन ने दो मिनट का मौन धारण किया ।

एफ सी: 05:03	उप कुलपति की टिप्पणियां

कार्यवृत्त

5.03.1 उप कुलपति ने पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण (अनुलग्नक एफ सी V 01) दिया, जिसमें 29.05.2010 को आयोजित गत बैठक के बाद विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया ।

5.03.2 सदन ने उप कुलपति द्वारा रिपोर्ट की गई विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की प्रशंसा की । श्री टी पी कोइराला ने जानना चाहा कि क्या विश्वविद्यालय पर्याप्त संख्या में स्थानीय नागरिकों को रोजगार दे रहा है । उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार की यह नीति है कि राज्य में स्थित सभी इकाइयों में स्थानीय नागरिकों को रोजगार में विशेषकर समूह 'ग' एवं 'घ' काडरो में वरिष्ठता प्रदान की जाएगी । अध्यक्ष ने प्रत्युत्तर दिया कि विश्वविद्यालय रोजगार में स्थानीय नागरिकों को गुणता से कोई समझौता किए बिना काफी अधिमान दिया जाता है ।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों एवं पद्धतियों की रूपरेखा के अंतर्गत विश्वविद्यालय अधिकांशत: रोजगार विशेषकर समूह ग एवं घ काडरों में स्थानीय नागरिकों को नियुक्त करता है । श्री बेजबरूआ ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय अपने मानको में समझौता किए बगैर स्थानीय नागरिकों को अधिमान सुनिश्चित करने का प्रयास करें। विशिष्ट सदस्यों ने उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी अल्प अवधि में हासिल प्रगति न सिर्फ आश्चर्यजनक है परंतु यह अन्य नवस्थापित समान प्रकृति के संस्थानों के लिए अनुकरणीय भीहै।

5.03.3 उपरोक्त आपत्तियों के साथ सदन ने उपकुलपति महोदय द्वारा प्रस्तुत कार्य निष्पादन विशिष्टताओं को नाट एवं अत्यधिक प्रशंसा किया ।

एफ सी: **05:04**	वित्त समिति की दिनांक **29.05.2010** को आयोजित गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

<u>कार्यवृत्त</u>

5.04.1 सदन ने दिनांक 29.5.2010 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर पुष्टि हेतु विचार किया । श्री अर्जुन स्यांगदेन ने उल्लेख किया कि पहले की बैठकों के कार्यवृत्त सदस्यों को अग्रिम रूप से उपलब्ध करवाएं जाएं ताकि उन्हें इसे पढ़ने का पर्याप्त समय मिल सके । अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि गत 4 महीने से प्रबंधन कार्मिकों की व्यस्तता के कारण कार्यवृत्त को अग्रिम रुप से परिचालित नहीं किया नहीं किया जा सका । उन्होंने आश्वस्त किया कि भविष्य में विशिष्ट सदस्यों द्वारा उठाई गई टिप्पणियों पर अनुपालन किया जाएगा ।

5.04.2 उपरोक्त अभ्युक्तियों के साथ सदन ने वित्त समिति की दिनांक 29.05.2010 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी ।

एफ सी: 05:05	वित्त समिति की दिनांक **29.05.2010** को आयोजित गत बैठक के कार्यवृत्त पर की गई करर्वाई रिपोर्ट ।

कार्यवृत्त

5.05.1 सदन ने वित्त समिति की दिनांक 29 मई 2010 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर पुष्टि हेतु विचार किया । यह देखा गया की प्रिंटिंग भूल के कारण एक्शन टेकन रिपोर्ट विवरण रिपोर्ट की गई पृष्ठों पर उल्लेख नहीं किया गया है । सचिव ने कार्यवृत्त के प्रत्येक मद पर विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई सदन को स्पष्ट किया । सचिव द्वारा प्रस्तुत उत्तरों/स्पष्टीकरणों के साथ की गई कार्रवाई रिपोर्ट की प्रति अभिलेख हेतु **अनुलग्नक एफ सी v - 02** के रूप में संलग्न है ।

5.05.2 सदन ने उत्तरों पर विचार किया । श्री बेजबरूआ ने उल्लेख किया कि जहां कहीं भी कोई कार्रवाई आवश्यक हो इसका संक्षिप्त में उल्लेख किया जाए ।

5.05.3 उपरोक्त अभियुक्तियों के साथ सदन ने दिनांक 29.05.2010को आयोजित गत बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट की पुष्टि की ।

एफ सी: 05:06	वित्त समिति की दिनांक **09.11.2009** को आयोजित गत बैठक के कार्यवृत्त पर की गई करर्वाई रिपोर्ट ।

कार्यवृत्त

5.06.1 सदन ने समिति के समक्ष प्रस्तुत दिनांक 11.09.2009 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर विचार किया तथा इसकी पुष्टि की ।

एफ सी: 05:07	आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट **2009-10** पर अनुपालन रिपोर्ट

कार्यवृत्त

5.07.1 वर्ष 2009-10 हेतु विश्वविद्यालय की आंतरिक लेखा परीक्षा का संचालन बनर्जी एवं भट्टाचार्य चार्टर्ड अकाउंटेंट कोलकाता द्वारा किया गया था । सदन ने इसके समक्ष प्रस्तुत आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उठाए गए विभिन्न बिंदुओं पर अनुपालन रिपोर्ट पर विचार किया । श्री बेजबरूआ ने टिप्पणी की की आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा इंगित कमियों विशेषकर देयता पक्ष में अन्य अग्रिमें एवं ऋण शेष को समाशोधित करने के लिए कार्रवाई की जाए।

5.07.2 सचिव ने आश्वस्त किया कि चूंकि वित्त स्कंध वर्तमान में प्रबंधक (उप रिजस्ट्रार) एवं उप प्रबंधक (सहायक रजिस्ट्रार) स्तर के नियमित पर्यवेक्षी कर्मचारियों से सज्जित है, उठाई गई कमियों साथ ही विशिष्ट सदस्य द्वारा उल्लेखित आपत्तियों को यथाशीघ्र समाशोधित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे ।

5.07.3 उपरोक्त अभ्युक्तियों के साथ सदन ने इसके समक्ष प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट को नोट किया ।

एफ सी: **05:08**	2009-10 के वार्षिक लेखाओं पर सी एवं एजी के अंतिम लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र पर विचार

<u>कार्यवृत्त</u>

5.08.1 सदन ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विश्वविद्यालय के 31.03.2010को समाप्त वर्ष हेतु लेखाओं पर जारी अंतिम लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र एवं पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया एवं वर्ष 2009-10हेतु वार्षिक रिपोर्ट में इसके समावेशन हेतु अनुमोदन किया।

5.08.2 ऐसा करते हुए, श्री टी पी कोइराला ने टिप्पणी की कि यूथ हॉस्टल भवन (विश्वविद्यालय का प्रशासनिक कार्यालय) हेतु विवादित किराया के संबंध में विश्वविद्यालय सी पी डब्लयू डी से कुरसी क्षेत्रफल के मापन हेतु अनुरोध करें, जिसके आधार पर सिक्किम सरकार के साथ किराए की राशि को अंतिम रूप दिया जा सकता है ।

एफ सी: **05:09**	संशोधित प्राक्कलन **2009-10** एवं बजट प्राक्कलन **2010-11**

<u>कार्यवृत्त</u>

5.09.1 सदन ने वर्ष 2009-10 हेतु वास्तविक आंकड़े, 2010-11 हेतु संशोधित प्राक्कल एवं वर्ष 2010-11 हेतु बजट प्राक्कलन से संबधित विवरण पर सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 के सांविधि 17(7) एवं (8) के अनुसार कार्यकारी परिषद के प्रति अनुमोदन एवं अनुशंसा हेतु विचार किया।

5.09.2 श्री ए पी थामस द्वारा टिप्पणी की गई कि संशोधित प्राक्कलन का नवम्बर माह में परीक्षण का कोई उद्देश्य नहीं है । अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि विभिन्न कारणों से वित्त समिति की सितम्बर 2010 में अनुसूचित बैठक नवम्बर 2010 के लिए विलंबित किया गया ।

वास्तव में , विश्वविद्यालय ने संशोधित प्राक्कलन समिति द्वारा अपनी बैठक में विचारार्थ प्रस्तावित किया है, जो कि सितम्बर 2010 में आयोजित होने वाली थी ।

5.09.3 सदन ने टिप्पणी की कि जबकि यह समग्र रूप से बजट की अनुशंसा कर सकती है, विश्वविद्यालय को पुर्नविनियोजन तैयार करने पर विचार करे , जब कभी नियमों के प्रावधानों के अनुसार यह आवश्यक प्रतीत हो । श्री ए.पी थामस ने यह भी उल्लेख किया कि वर्ष 2010-11 से आगे पूंजी एवं राजस्व के बीच किसी पकार के निधियों के पुनर्विनियोजन की अनुमति नहीं होगी ।

5.09.4 उपरोक्त अभ्युक्तियों के साथ, सदन ने बजट प्रस्तावों की कार्यकारी परिषद के विचारार्थ अनुशंसा की ।

एफ सी: **05:10**	दिनांक **01.11.2010** को अव्ययित शेष की स्थिति

कार्यवृत्त

5.10.1 सदन ने दिनांक 01.11.2010 तक की स्थिति अव्ययित शेष की स्थिति दर्शाते हुए विवरण पर विचार एवं नोट किया ।

समूह II - सूचनार्थ रिपोर्टित मदें

एफ सी: 05:11	कार्यकारी परिषद द्वारा विश्वविद्यालय प्रार्थना का अंगीकरण

कार्यवृत्त

5.11.1 सदन ने गहरी प्रशंसा के साथ संस्थापक उपकुलपति प्रो. महेन्द्र पी लामा क्षरा रचित गीत, इसकी अंतर्वस्तु एवं विश्वविद्यालय के प्रार्थना गीत के संगीत को नोट किया, जिसे कार्यकारी परिषद द्वारा अपने दिनांक 03.11.2010 को आयोजित हाल के बैठक में अंगीकृत किया गया है ।

एफ सी: 05:12	शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति तथा वेतनों का संशोधन

कार्यवृत्त

5.12.1 सदन ने कार्यसूची मद को नोट किया, जिसमें दिनांक 29.05.2010 को आयोजित गत बैठक के बाद की गई नई नियुक्तियों (शिक्षण एवं गैर शिक्षण दोनों) गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियमित नियुक्तियों एवं रिपोर्टित वेतनों के संशोधन को नोट किया ।

एफ सी: 05:13	संबंद्धन शुल्क प्रभारित किया जाना

कार्यवृत्त

5.13.1 सदन ने विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद द्वारा यथानिर्णित शैक्षाणिक सत्र 2011-12 से अंगीभूत महाविद्यालयों से संबद्धन शुल्क प्रभारित करने के निर्णय को नोट किया । श्री टी.पी. कोइरला ने उल्लेख किया कि सरकारी महाविद्यालयों से संबद्धन शुल्क प्रभारित किया जाना राज्य सरकार के कोष पर बोझ डालेगा । इस पर, अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि विश्वविद्यालय उस कार्य व्यवहार को अंगीकृत कर रहा है, जो कि अन्य विश्वविद्यालयों में पहले से ही लागू है तथा संबद्धन शुल्क प्रभारित किया जाना विश्वविद्यालय के संसाधनों में आने वाले समयावधि में अभिवृद्धि के लिए आवश्यक्ष है ।

एफ सी: 05:14	यांग्यांग स्थित भूमि अधिग्रहण पर स्थिति रिपोर्ट

कार्यवृत्त

5.14.1 सदन ने कार्यसूची मद पर बहुत विस्तार से चर्चा की तथा इस पर सर्वांगिंण विचार विमर्शकिया । इसके द्वारा चिंता व्यक्त की गई कि विश्वविद्यालय को भूमि हस्तानांतरण में होने वाली विलंब प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की कई विपत्तियों का कारण बनी है, जिसमें प्रचालनात्क, वित्तीय, इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी एवं शैक्षणिक सम्मिलित हैं । सदस्य ने नोट किया की कार्यकारी परिषद द्वारा यथानिर्मित विश्वविद्यालय के मामले को भारत सरकार के साथ इस गतिरोध के शीघ्र समाधान हेतु उठाना चाहिए ।

5.14.2 श्री के पी थॉमस ने कहा कि विश्वविद्यालय के अन्य स्थानों को प्रति-अवस्थापन का सुझाव देते हुए कार्यकारी परिषद का निर्णय भारत सरकार की नीति के अनुरूप नहीं है।

5.14.3 श्री टी पी कोइराला ने कहा कि सिक्किम सरकार स्थिति से पूर्णतया अवगत हैं तथा सिक्किम विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र भूमि आवंटित करवाने के लिए सर्वथा प्रयास कर रही है।

5.14.4 उपरोक्त अभ्युक्तियों के साथ सदन ने अपने समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद को नोट किया ।

एफ सी: 05:15	गंगटोक स्थित भूमि का प्रापण

कार्यवृत्त

5.15.1 सदन में कार्यसूची मद पर विचार किया तथा विश्वविद्यालय द्वारा गंगटोक में अपने प्रशासनिक कार्यालय, अतिथि गृह आदि के निर्माण हेतु भूमि केएक टुकड़े के अधिग्रहण के लिए किए गए प्रयासों को नोट किया ।

एफ सी: 05:16	विश्वविद्यालय की **30.09.2010** को समाप्त छमाही हेतु अद्धवार्षिक लेखाएं

कार्यवृत्त

5.16.1 सदन ने 30.9.2010 को समाप्त अवधि हेतु अर्धवार्षिक लेखाओं पर विचार किया । श्री बेजबरूआ ने कहा कि अन्य देयताओं के अंतर्गत प्रतिकूल शेष को समाशोधित करने के आवश्यक प्रयास किए जाएं । यह भी सुझाव दिया कि पुराने बकाया अग्रिमों के यथाशीघ्र समाशोधन हेतु भी प्रयास किया जाए ।

5.16.2 उपरोक्त अभ्युक्तियों के साथ सदन ने कार्यसूची मद को नोट किया ।

एफ सी: **05:17**	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय

कार्यवृत्त

5.17.1 बैठक में कोई अन्य विषय नहीं उठाए जाने के कारण अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक समाप्त घोषित की गई ।

हस्ताक्षरित/-
(पी वी रवि)
वित्त अधिकारी एवं
पदेन सचिव, वित्त समिति